न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या:– 24/2023

बंशीलाल आत्मज स्व. चुन्नीलाल जी मेहर निवासी सूलीमंगरा तह0 बेगूं
प्रार्थी/वादी

विरूद्व

श्रीमती बदामदेवी पत्नी श्री प्रकाशचन्द्र जी खटीक निवासी जूनी बेगूं तह0 बेगूं
विपक्षी/प्रतिवादी

उपस्थित :– श्री सत्यनारायण ईनाणी
अधिवक्ता प्रार्थी
श्री कैलाशचन्द्र मंत्री
अधिवक्ता विपक्षी

आदेश दिनांक :–16.04.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने इस अनवान का एक वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो प्रस्तुत रेकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस पूर्णतया प्रमाणित है।

यह कि ग्राम जूनी बेगूं तह. बेगूं में प्रार्थी व उसके परिवारजनो के संयुक्त खातेदारी व कब्जे की निम्न लिखित आराजीयात स्थित है :–

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
24	0.3250
26	0.2510
27	0.2830
28	0.1700
29	0.1860
30	0.12103
31	0.0970
32	0.1050
33	0.7920
34	0.4700
35	0.5750
414/295	0.2430
कीता–12 कुल रकबा	3.6180

यह कि इन आराजीयात में प्रार्थी का 2/5 हक व हिस्सा निहित है एवं वकाया हिस्सा प्रार्थी के भाई प्रभूलाल एवं स्व.देवीलला जी के वारीसान का होकर सुविधा अनुसार हिस्से अनुसार आपसी सहमति से काबीज होकर काश्त कर रहे है और एक ही परिवार के सदसय होने से कोई विवाद नहीं है। किन्तु विपक्षी ने प्रार्थी के भाई श्री प्रभूलाल पिता चुन्नीलाल जी मेहर से उनके हिस्से की आराजीया तमे से 37/180 का 25/37 भाग जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र याने कुल क्षैत्रफल का 5/36 भाग जो लगभग 0.50 हैक्टर होता है दिनांक 27.1.2023 को खरीद कर विक्रय पत्र निष्पादित करा कर दिनांक 30.1.2023 को पंजीकृत करवा दिया और दिनांक 6.2.2023 को यह धमकी दी कि वह वाद वर्णित आराजयीात के किसी भी हिस्से पर मनमकसूद कब्जा कर अनावश्यक विवाद पैदा करेगी। जबकि प्रार्थी व उसके परिवारजनों के मध्य आराजयीात का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स में कोई विभाजन नहीं हुआ है और हिस्से अनुसार आपसी सहमति व सुविधा से कृषि कार्य कर रहे, क्यो कि एक ही परिवार के सदस्य है किन्तु विपक्षी हमारे परिवार की नहीं होकर अजनबी (स्ट्रेन्जर) होकर किसी भी विशिष्ठ हिस्से पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है जिससे विपक्षी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वह इस वाद के निर्णय तक वाद

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौडगढ़)

आराजीयात के किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं करें। आराजी में प्रवेश नहीं करें अन्यथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। मौके पर अनावश्यक लडाई झगडे और मुकद्मेबाजी होगी।

कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। क्यो कि प्रार्थी आराजीयात का खातेदार काबीज है और किसी भी अजनबी को विभाजन कराये बिना आराजीयात में प्रवेश करने का वैधानिक अधिकार नहीं हैं। आावेदन के समर्थन में प्रार्थी का शपथ पत्र प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना है कि वपिक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह इस वाद के निर्णय तक वाद पत्र की चरण संख्या 1 एवं आवेदन की चरण सं. 2 में वर्णित आराजीयात के किसी भी हिस्से में प्रवेश नहीं करें। कब्जा नही करे और न ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बादं जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्न तलब किया गया, मूल वाद पत्रावली में अधिवक्ता श्री कैलाश मंत्री द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए इस प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन यिका कि प्रार्थना पत्र की कल मसं0 1 गलत होरक अस्वीकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वेग एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होरक प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है। प्रार्थना पत्र की कल मसं0 2 प्रार्थी स्वयं प्रमाणित करें। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम सं0 3 का जवाब इस प्रकार है कि विपक्षी का भूमि खरीद करने का कथन सही होकर स्वीकार है। विपक्षी अपनी खरीद हिस्सा भूमि की काश्तकार खातेदार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है। मौके पर प्रार्थी का स्वतंत्र कब्जा काश्त हिस्सानुसार पहले से है इनके भाईयो में मौखिक विभाजन हो रखा है जिससे प्रार्थी की हिस्सा भूमि से विपक्षी का किसी तरह का न तो संम्बन्ध है एवं न ही विपक्षी ने कभी उसमे दखलंदाजी की है एवं न ही की जानी है। प्रार्थी ने मात्र कल्पना के आधार पर एवं विपक्षी को नाजायज परेशान करने एवं विपक्षी से अनैतिक लाभ प्राप्त करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त योग्य है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम सं0 4 गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षी अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि पर काबिज हो काश्त कर रही है। जब मौके पर प्रार्थी व विपक्षी की भूमि पृथक पृथक है तो विपक्षी की हिस्सा भूमि से प्रार्थी का न तो कोई सम्बन्ध है एवं न ही प्रार्थी को किसी तरह की असुविधा हो रही है प्रार्थी ने मात्र विपक्षी को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विपक्षी का भी अपने जवाब के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष की बहस को प्रार्थना पत्र अ.धा. 212 आर. टी.एक्ट पर ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवकता प्रार्थी ने अपनी बहस को प्रार्थना पत्र निवेदन करते हुए कहा कि विपक्षी ने मेरे भाई की जमीन को खरीद किया है। हमारा आपस में विभाजन नहीं हुआ है मौखिक रूप से हम अपने अपने हक हिस्से पर काबिज है। आर आर डी 1986 पेज 148 न्यायिक उद्रण की छायाप्रति प्रस्तत करते हुए कहा " एक सह कृषक द्वारा कोई निश्चित भू–भाग का विक्रय कर देने के पश्चात एव क्रयकर्ता को आराजी में प्रवेश कर लेने के पश्चात भी उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है।" विपक्षी एक अजनबी (स्ट्रेन्जर पर्सन) है जिन्हें अविभाजित किसी भी भू भाग पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें एवं विपक्षी में मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें।

बहस में अधिवक्ता विपक्षी ने निवेदन किया कि विपक्षी ने भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय की है तथा सुविधानुसार काबिज होकर कातश कर रहे है। भूमि का हिस्सा प्रभुलाल से खरीद किया है। विपक्षी स्टेन्जर पर्सन नही है वह एक सहखातेदार है। सहखातेदार प्रभूलाल ने सम्पत्ति बंशीलाल को नहीं देकर मुझे दे दी इसलिए प्रार्थी ने यह केस यिका है। सम्पत्ति जोइन्ट का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक उद्रण का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु मुख्य तीन बिन्दु प्रतिपादित है जिन पर निर्णय किया जाना होता है जो निम्न प्रकार से किया जाता है:–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

प्रथम दृष्टया मामला :–

पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी गौजा जूणीबेगूं संवत 2078 का अवलोकन किया गया उसमे दर्ज आराजी संख्या 24, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 3, 30, 31, 31, 32, 33, 33, 33, 34,35, 35, 414/295 कीता– 12 कुल रकबा 3.6180 हैक्टर भूमि के खातेदार देवीलाल पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा 1/4 जाति मेहर, प्रकाशचन्द पुत्र भैरूलाल हिस्सा 1/10 जाति खटीक, प्रभूलाल पुत्र चुन्नीलाल हिस्स 1/4 जाति मेहर , बंशीलाल पुत्र चुन्नीलाल हिस्सा 2/5 जाति मेहर दर्ज अंकित है। इस सहखातेदारी की भूमि में विपक्षी बदाम के पति प्रकाश चन्द का पहले से ही हिस्सा 1/10 दर्ज अंकित होने से विपक्षीया एक स्ट्रेन्जर पर्सन नहीं है। साथ ही किसी भी सह खातेदार को अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त है। अब हिस्सा बैचान पर फेगमेन्ट लागू नहीं है। विपक्षी ने भूमि सह खातेदार प्रभूलाल से उनके हिस्से की भूमि को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीद किया है तथा प्रभूलाल के हिस्से की भूमि पर कब्जा किया है, विपक्षी भी सहखातेदार है तथा सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने का कानून अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रूलिंग इस प्रार्थना पत्र पर लागू नहीं होती है क्यो कि विपक्षी के पति का हिस्सा पहले से ही इस सहखातेदारी भूमि में होने से विपक्षी अजनबी व्यक्ति नहीं है। साथ ही विपक्षी ने पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रतिफल देकर भूमि क्रय की है जिन्हें क्रयशुदा हिस्से पर प्रवेश करने से रोका जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

2– सुविधा का संतुलन :–

प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि सहखातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें सहखातेदार प्रभूलाल मेहर जिनका हिस्सा 1/4 दर्ज है ने अपने हिस्से में से 5/36 भाग यानि लगभग 0.50हैक्टर विक्रय किया है जिस पर विपक्षी का कब्जा होकर काश्त होना जवाब में विपक्षी ने अंकित किया है। प्रार्थी ने अपने बहस एवं दस्तावेज में यह खण्डन नहीं किया है कि केता विपक्षी ने प्रभूलाल से जमीन क्रय करने पर कब्जा नहीं किया है। प्रार्थी ने यह कथन किया है कि विपक्षी द्वारा किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं करें। यदि भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की है तो कब्जा करने का अधिकार भी प्राप्त है, वह कब्जा विकेता के हिस्से की भूमि से प्राप्त करेगी, जिन्हें रोका जाना न्यायसंगत नहीं होता है, इस प्रकार सुविधा का संतलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नही होता है।

3– अपूर्तनीय क्षति :–

प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि मे सहखातेदार प्रभूलाल के हिस्से से भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा विपक्षीया ने क्रय की है, विपक्षीया ने भूमि क्रय के बदले उसका प्रतिफल सहखातेदार को दिया है यदि भूमि पर प्रतिफल दिये जाने के पश्चात केता विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो निश्चित ही विपक्षी को अपूर्तनीय क्षति होती है जबकि प्रार्थी को कोई क्षति होने वाली नहीं है। इस प्रकार यह बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र निस्तारण के मुख्य तीनों ही बिन्दु दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एतद् द्वारा सिद्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 16.04.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ